न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेनभू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमाराम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2022

जीसीएमएसनं. :– 2022/9

प्रार्थी :–

लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. गटुदेवी पत्नि गोरधनराम
2. चैनाराम पुत्र गोरधनराम
3. जयराम पुत्र श्रीराम
4. भानाराम पुत्र श्रीराम
5. सेहनराम पुत्र गोरधनराम
6. हुकमाराम पुत्र गोरधनराम

सभी जातियान जाट सभी निवासीयान चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

7. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू.राजस्व अधिनियम</u>

दर्ज तारीख :–07.01.2022

उपस्थित :

श्री अब्दूल सलीम खान सिन्धी अधिवक्ता प्रार्थी।

त्हसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 14.08.2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– ग्राम चिरडाणी पटवार हल्का चिरड़ाणी भू.अभिलेख निरीक्षक चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदार सुदा कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 10.7597 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय. भूमि आई हुई हैं जो प्रार्थी ने खातेदारीसुदा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निरबाद रूप से चला आ रहा है प्रार्थी वादग्रस्त आराजी से मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग मे लेते आ रहा है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्रार्थी अपना जीवन यापन करता हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर पास स्थित अन्य खसरान जो अप्रार्थी सं. 1 से 6 की सहखातेदारीसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 3.3816 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है । उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 7 के कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2020 को करवा कर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

दिनांक 15.06.2020 को नपवाकर फर्द मौका मोके पर मुर्तीब करवाई गई इसके बावजूद प्रार्थी सं. 1 से 6 सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर रहे है तथा प्रार्थी की उतरी माठ की तरफ से आगे बढ़ रहे है तथा अप्रार्थी सं. 07 के आदेश से करवाये गये सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाकर उनकी उपस्थिति में कानूनी कार्यवाही के जरिये सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी किया जाना समुचित व आवश्यक हैं। वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वर्णित वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार / तारबंदी करवाना चाहते है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 325 का नापचौक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी है। जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वादविवाद उत्पन्न नही हों। वादग्रस्त खसरे के एक तरफ कटाण रास्ता आया हुआ है इसलिए वादग्रस्त खसरे की सीमाओं को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद प्रार्थीगण/अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियो एवं सरकारी कर्मचारीयों के बीच मे विवाद उत्पन्न नही हो इसलिए अप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थीगण द्वारा दीवार व तारबंदी के दौरान रास्ते पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नही हों। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा कर देगे एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगे तथा नियमानुसार कमिश्नर फीस अदा कर देगे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी को आदेश दिया जावे कि ग्राम चिरड़ाणी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 10.7597 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि को भी भूमि का नापचौक किया जाकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को सादर फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 से 6 के समन बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 7 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का नापचौप करसीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम चिरड़ाणी पटवार क्षैत्र चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 10.7597 हैक्टयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चिरड़ाणी के खसरा नम्बर 325 का टीम गठित कर नापचौक कर पत्थरगढ़ी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर